

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान जयपुर
क्रमांक:-ई-18/एम/मृआ/2018/
दिनांक:-

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-18/एम/नियु0/मृआ/17/687 दिनांक 13.11.17 के द्वारा श्रीमती सरोज बाई मीणा पत्नि स्व0 डॉ0 रामस्वरूप मीणा को मृतक आश्रित के रूप में कनिष्ठ सहायक के पद पर अनुकम्पात्मक नियुक्ति दी जाकर पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय के अधीन किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए पदस्थापन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा के अधीन रिक्त कनिष्ठ सहायक के पद पर किया जाता है।

इनकी कार्यग्रहण अवधि दिनांक 30.01.2018 तक बढ़ाई जाती है। आदेश का शेष भाग यथावत रहेगा।


(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर

दिनांक:- 25/11/18

क्रमांक:-ई-18/एम/मृआ/2018/ 70

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1-विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर को उनकी आई.डी. सख्या 04/एम/एमएच/18 दिनांक 02.01.18 के क्रम में।

2-संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जोन जयपुर।

3-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, दौसा को भेजकर लेख है कि श्रीमती सरोज बाई मीणा का पुलिस वैरिफिकेशन करवाने के पश्चात ही कार्यग्रहण करवाये। संबंधित मृतक आश्रित के आवेदन पत्रादि संलग्न कर भिजवाये जा रहे हैं।(रजिस्टर्ड पत्र द्वारा)

4-मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर-द्वितीय।

5-श्रीमती सरोज बाई मीणा पत्नि स्व0 डॉ0 रामस्वरूप मीणा, ग्राम पोस्ट खेडला गदाली, तह0 महवा, जिला दौसा।

6-प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करवायें।

7-आदेश/रक्षित पत्रावली।



(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राज0 जयपुर